



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 551/22 धारा 504/354 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्त प्रशान्त पुत्र ओमकार निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत के द्वारा वादिया की पुत्री के साथ फोन पर अश्लील बातें करना व वादिया के घर आकर उसके साथ छेड़छाड़ करना। वादिया व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त प्रशान्त को पकड़कर थाने लाया गया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रशान्त पुत्र ओमकार निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 551/22 धारा 504/354 भादवि पंजिकृत किया गया।



#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. प्रशान्त पुत्र ओमकार निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. है0का0 115 रामवर सिंह थाना कोतवाली बागपत।
2. का0 806 निकेश कुमार थाना कोतवाल बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 03.06.22

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 409/22 धारा 504,506,427,436,380 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी श्री अमित कुमार पुत्र तरसेम निवासी कचरौली थाना पानीपत सदर जिला पानीपत हरियाणा ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्त 1- अंकुर 2- राहुल निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बडौत 3- मंदीप निवासी जटवाडा सोनीपत हरियाणा 4- सुसु निवासी दिपालपुर सोनीपत हरियाणा ने कस्बा बडौत में मैडिकल की दुकान पर उसके साथ गाली-गलौच करते हुये वादी की मैडिकल की दुकान में रखा सामान व 55 हजार रुपये चोरी करना तथा ट्रैक्टर की टक्कर मारकर दुकान का सामान तोडना एवं सामान में आग लगा देना तथा जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0स0 409/22 धारा 504,506,427,436,380 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 409/22 धारा 504,506,427,436,380 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मंदीप पुत्र दिनेश निवासी जटवाडा थाना सोनीपत सिटी जनपद सोनीपत हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव

2- है0 का0 65 महीपाल सिंह

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 461/22 धारा 363 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 461/22 धारा 363 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

**नोट:-** उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में अपहृता को सकुशल बरामद किया जा चुका है ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना बडौत

2-का0 1043 सुनील यादव थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 03.06.22

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 48 अर्धदेशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 48 अर्धदेशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रविन्द्र पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम राजपुर-खामपुर थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।



#### बरामदगी का विवरण-

- 48 अर्धदेशी शराब हरियाणा मार्का।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत
- 2- है0का0 348 ज्ञानेन्द्र सिंह
- 3- है0का0 33 सुरेन्द्र सिंह
- 4- का0 262 कवित कुमार
- 5- का0 257 बलजीत सिंह



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 03.06.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 415/22 धारा 147,148,504,452,323,354,354ख,308,506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 415/22 धारा 147,148, 504,452,323,354,354ख,308,506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सोनू पुत्र मांगे निवासी बडका रोड कस्बा व थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मन्नु उर्फ साहिल पुत्र मांगे निवासी बडका रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव
- 2- है0का0 65 महीपाल सिंह
- 3-हो0गा0 332 हरख्याल सिंह





प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 03-06-2022

थाना बिनौली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

#### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम पता-

1. पुष्पेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
2. अमित पुत्र ब्रह्मपाल निवासी पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।



#### आपराधिक इतिहास पुष्पेन्द्र उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 86/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 126/13 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 146/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 77/13 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 241/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
6. मु0अ0सं0 21/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
7. मु0अ0सं0 32/20 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
8. मु0अ0सं0 79/20 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
9. मु0अ0सं0 134/20 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
10. मु0अ0सं0 193/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
11. मु0अ0सं0 280/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
12. मु0अ0सं0 281/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273/420 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
13. मु0अ0सं0 360/19 धारा 289/332/353 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
14. मु0अ0सं0 427/17 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
15. मु0अ0सं0 465/18 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
16. मु0अ0सं0 466/18 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
17. मु0अ0सं0 545/18 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।

#### आपराधिक इतिहास अमित उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 499/20 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0सं0 117/16 धारा 147, 148, 224, 225, 332, 336, 353 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3.मु0अ0सं0 473/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4.मु0अ0सं0 258/18 धारा 3504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5.मु0अ0सं0 180/12 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6.मु0अ0सं0 241/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री नन्हे सिंह
- 2-उ0नि0यूटी श्री आदित्य कुमार
- 3-है0का0 99 मुनीष शर्मा
- 4-का0 632 विपिन कुमार
- 5- का0 1119 वीरेश कुमार

थाना खेकडा

दिनांक 03.06.22

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 54 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब व तस्करी में प्रयुक्त एक कार मारुति सुजुकी बलेनो बरामद ।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 54 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक कार मारुति सुजुकी बलेनो बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1-रामभरोष राय पुत्र बालेश्वर राय निवासी जन महमदपुर बुजुर्ग समस्तीपुर बिहार ।  
हाल निवासी रोहटा रोड बर्निका सिटी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

**बरामदगी का विवरण-**

- 54 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का ।
- एक कार मारुति सुजुकी बलेनो नम्बर- DL-6CR-2661

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**थाना खेकडा पुलिस-**

- 1.उप0नि0 अमित कुमार चौहान
- 2.का0 644 सुनील कुमार
- 3.का0 373 बब्लू चौधरी



## आबकारी टीम-

- 1.सविता रानी आबकारी निरीक्षक
- 2.है0का0 अश्वनी कुमार
- 3.का0 सुशील कुमार सिंह



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 03.06.2022

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 450/21 धारा 498ए/323/504/307/324 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 450/21 धारा 498ए/323/504/ 307/324 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नाजिम पुत्र जाकिर निवासी खुशहाल कालोनी लिसाड़ी रोड़ थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-वरि0उप0नि0 रवेन्द्र सिंह पलावत
- 2-का0 644 सुनील कुमार
- 3-का0 373 बब्लू चौधरी

